केंद्रीय विद्यालय क्रमांक – १
बी०ई०जी० एंड सी०, रुड़की– २४७६६७
वेबसाइट:http://www.kv1roorkee.ac.in
ईमेल: kvroorkee1@gmail.com
फ़ोन: 01332 – 272402 फैक्स: 01332-270728
विद्यालयकोड: 08565 के०मा०शि०बो०संबद्वतासं०: 3500008

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA NO.1
B.E.G & C, ROORKEE - 247667
Website:http://www.kv1roorkee.ac.in
Email:kvroorkee1@gmail.com
Phone:01332 – 272402 Fax: 01332-270728
School Code:08565 CBSE Affiliation No: 3500008

फ. नं०-1393249 / VVN/के.वि. क्रमांक -1 रुड़की / 2020–21 / दिनांक 8.7.2020

सेवा में,

कार्य० प्रति
....
....
....

विषयः विद्यालय में **अनुबंध पर कैंटीन चलाने हेतु** निविदा आमंत्रण।

महोदय,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन केन्द्रीय वित्त पोषित स्वायत्त निकाय समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का प्रशासकीय योजना केन्द्र सरकार के हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संगठन है।

2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के.वि.**क्रमांक -1 रुड़की में अनुबंध पर कैंटीन चलाने हेतु** मोहरबंद निविदायें संलग्न प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है।

क्र०सं० सामान / सेवा का विवरण,समान का विनिर्देश (Specification) दरें जो दिया जा रहा है।

3. बोली कीमतः–

(क) बोली दाताद्वारा विद्यालय **में अनुबंध पर कैंटीन चलाने हेतु (संलग्न सूची के अनुसार)** हेतु विनिर्देश ,Specification) एवं गुणवत्ता के आधार पर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दरें भरकर देनी होगी। निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सही करने के लिए बोलीदाता द्वारा काटकर पुनः लिखकर तिथि सहित हस्ताक्षर करने होंगे। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। बोलीदाता द्वारा दी गई दरें सामान को विद्यालय में पहुंचाने सहित होंगी इसके अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख) बोलीदाता द्वारा समस्त प्रकार के कर एवं व्यवसाय हेतु **कर्तव्यों** के निर्वाह में जो भी देय हों को सम्मिलित कर अपनी दरें देनी होंगी। विद्यालय द्वारा दी गई दरों के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं की जायेगा।

(ग) बोलीदाता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष के लिए मान्य होंगी। बोलीदाता द्वारा दरें केवल भारतीय मुद्रा (रूपये) में ही अंकित करनी होंगी।

(घ) एक बोलीदाता द्वारा केवल एक निविदा ही दी जायेगी टेलेक्स या नमूना निविदा स्वीकार नहीं है।

(ङ) निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ बयाना राशि रूपये 2000.00का बैंक ड्राफ्ट/**चेक** जो कि केन्द्रीय विद्यालय के.वि.**क्रमांक -1 रुड़की** के पक्ष में देय हों संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

(च) बोलीदाता द्वारा अपने व्यवसाय के पंजीकरण, सेवा कर, वैट, आयकर पैन संख्या की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

(छ) बोलीदाता द्वारा दी गई दरें विद्यालय में सामान पहुंचाने एवं समस्त कार्यों को पूर्ण करने तक के समस्त खर्चों सहित होगी।

4 निविदा की वैधताः–निविदा दिनांक **31.7.2021** तक वैध होगी।

5 निविदा का मूल्यांकनः–विद्यालय द्वारा निविदा का तुलनात्मक मूल्यांकन पर्याप्त निर्धारित प्रपत्रों, नियम शर्तों की बाध्यता को पूर्ण करने, पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित, विनिर्देश (Specification) एवं गुणवत्ता दी गई दरो की सूची की पुष्टि होने पर मूल्यांकन किया जायेगा।

6. आपूर्ति आदेश/अनुबन्धः–

(क) आपूर्ति लेने वाले द्वारा आपूर्ति आदेश उसी बोलीदाता को देने का निर्णय लिया जायेगा जिसकी निविदा निर्धारित प्रपत्र पर है, समस्त नियम एवं शर्तों का पालन करती हों एवं कम से कम दरें निविदा प्रपत्र में अंकित की गई है।

(ख) बोलीदाता जिसकी निविदा स्वीकार कर ली गई हो को निविदा की वैधता के समयावधि के दौरान आपूर्ति आदेश वैधता खत्म होने से पूर्व दिया जायेगा।

(ग) आपूर्ति की अधिसूचना के निर्णय में यदि किसी इकाई की दरों और नियम एवं शर्तों में परिवर्तन है तो निर्दिष्ट किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में **अधोहस्ताक्षरी** एवं समिति द्वारा गुणवत्ता, विनिर्देश (Specification) को जांचने एवं अच्छा कार्य किये जाने के प्रमाण–पत्र के उपरांत 15 दिन के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

(ड) समस्त उपरोक्त के बावजूद अधोहस्ताक्षरी को निविदा निरस्त करने व स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

(च) सफल बोलीदाता को बयाना राशि कुल कीमत का 5 प्रतिशत विद्यालय में जमा करना होगा। बोलीदाता द्वारा सुरक्षा राशि कीमत का 5 प्रतिशत जमा करने पर ही बयाना राशि वापिस की जायेगी।

7. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समयः–

सभी निविदा दाताओं से निवेदन है कि वे अपनी निविदा, निविदा बॉक्स में निविदा के लिफाफे के ऊपर इस प्रकार लिखे **कि अनुबंध पर कैंटीन चलाने हेतु है |** निविदायें दिनांक **24/07/2020** को प्रातः 11:00 बजे तक स्वीकार की जायेंगी एवं उसी दिन प्रातः 11:30 बजें अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। यदि निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की तिथि छुट्टी होगी तो निविदायें अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय तक प्राप्त की जायेगी एवं निर्धारित समय पर खोली जायेंगी। जिस तिथि से अनुबंध किया जायेगा उस तिथि से एक वर्ष के लिए अनुबंध मान्य होगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः

विद्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्र पर ही सभी बोलीदाताओं से निविदायें प्राप्त की जायेंगी। सभी बोलीदाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर होने अनिवार्य है, तत्पश्चात् फर्म के लेटरहेड पर संलग्न किया होना चाहिए।

① सोनू कैटर्स, 70 गुलाब नगर, रुड़की
② किशन टैन्ट हाउस, के०वि० 1 रुड़की कैम्पस, रुड़की
③ उजाला कैटर्स, H.NO.83 मलकपुर, पुरकुंज, रुड़की
④ चेतना इंटरप्राइजेज, 54 सिविल लाइन्स, रुड़की
⑤ [illegible] टैन्ट हाउस, ईदगाह चौक के पास, रुड़की

(वी० के० त्यागी)
प्राचार्य

प्राचार्य
के०वि०नं०–1, रुड़की

बी०ई०जी० एंड सी०, रुड़की– २४७६६७
वेबसाइट:http://www.kv1roorkee.ac.in
ईमेल: kvroorkee1@gmail.com
फोन: 01332 – 272402 फैक्स: 01332-270728
विद्यालयकोड: 08565 के०मा०शि०बो०संबद्धतासं०: 3500008

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

B.E.G & C, ROORKEE - 24
Website:http://www.kv1roorkee
Email:kvroorkee1@gmai
Phone:01332 – 272402 Fax: 01332-27
School Code:08565 CBSE Affiliation No: 35

8-7-2020

अनुबंध की शर्ते

1.समझौते की शुरुआत 01- 8-2020 से 31-06-2021 की अवधि(11महीने)के लिए अनुबंध वैध होगा ।

2. ठेकेदार को चाहिए एक वैध भोजन खान-पान या किसी भी आवश्यक लाइसेंस की व्यवस्था करें ।

3. इसके साथ संलग्न मूल्य सूची इस समझौते के साथ लगाई जाएगी। इसके बाद इसे आपसी समझौते पर आवश् अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है । स्कूल में कैंटीन चलाने के लिए अनुमति दीजायेगी । यह अनुबंध 11 माह लिए मान्य होगा । ठेकेदार केवल उन्हीं वस्तुओ की आपूर्ति करेगा जो विशेष रूप से प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सं द्वारा अनुमोदित है ।

4. ठेकेदार अनुलग्नक एक में उल्लेखित सभी खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

5. कैंटीन के लिए इमारत स्कूल द्वारा किराए पर प्रदान की जाएगी ठेकेदार उचित रखरवाव और सुरक्षित हिरासत लिए.जिम्मेदार होगा । उपकरण की मरम्मत और रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जाएगा । और वह इस विद्यालय पर खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।

6. किसी भी खरीद खाद्य सामग्री/संदूषण के मामले में ठेकेदार पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

7. वह सभी खर्चो को सहन करेगा खाद्य विषाक्तता/ संदूषण/गन्दगी से बचने हेतु एवं दक्षता बनाए रखने के लिए ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को रोजगार देगा। ठेकेदार किसी भी बाल मजदूर की नियुक्ती नहीं करेगा।

8. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी लोग ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और वह प्राचार्य के. वि. क्र-1 रुड़की से कोई विशेषाधिकार नहीं लेंगे। सामान्य अनुशासन और विनम्र व्यवहार के संबंध में अपने कर्मचारियों कि प्रशासन के लि ठेकेदार सीधे जिम्मेदार होगा।

9. ठेकेदार द्वारा अपने सभी श्रमिकों की चिकित्सीय रूप से अनुमोदित पंजीकृत मेडिकल जांच की जाएगी।

10. ठेकेदार क्रॉकरी,खाना पकाने के लिए बर्तन, फर्नीचर, अनुमोदित वस्तुओं की रसोई घर में आपूर्ति करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस हेतु संगठन किसी भी तरह के सफाई सामग्री को उपलब्ध नहीं कराएगा ।

11-कैंटीन सभी कार्य दिवसों पर स्कूल घंटे के दौरान खानपान के लिए खोली जाएगी।

12-ठेकेदार किसी भी सामान को बिना गेटपास के विद्यालय परिसर से बाहर नहीं ले जा सकता यह गेट पास कैंटी इंचार्ज द्वारा प्रदान किया जाएगा किसी भी प्रकार की विफलता/ नियमो का पालन न करने पर [redacted] कार्यवाही की स्थिति में ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

13-तैनात व्यक्तियों के पुलिस सत्यापन दस्तावेज़ को ठेकेदार द्वारा केंद्रीय विद्यालय रुड़की के कार्यालय में 15 दि के भीतर जमा किया जाना चाहिए |अन्यथा उस व्यक्ति को विद्यालय में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और तुरंत उस व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को स्थापित करेगा जिसका सत्यापन पूर्ण हो गया हो।

14- किसी भी समय ठेकेदार के कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए केंद्रीय विद्यालय न 1 रूड़की को अधिकार और इस सम्बन्ध में ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा व्यक्त की गई कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी।

15-केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की द्वारा अनुमोदित प्रारूप में ठेकेदार श्रमिकों को ID कार्ड जारी करेगा ।

16-केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की नामांकित व्यक्तियों को जांच और परीक्षण के उद्देश्य से कैंटीन से कच्ची साम के नमूने लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह के नमूने अधिकृत रूप से अधिकृत व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा पी एफ अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

बी०ई०जी० एंड सी०, रुड़की– २४७६६७
वेबसाइट:http://www.kv1roorkee.ac.in
ईमेल: kvroorkee1@gmail.com
फोन: 01332 – 272402 फैक्स: 01332-270728
विद्यालयकोड: 08565 के०मा०शि०बो०संबद्धतासं०: 3500008

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

B.E.G & C, ROORKEE
Website:http://www.kv1
Email:kvroorkee1
Phone:01332 – 272402 Fax: 0
School Code:08565 CBSE Affiliation

17- कैंटीन में स्वच्छता और पर्याप्त सेवा सुनिश्चित करने तथा कैंटीन में काम काज का निरीक्षणकरने केंद्रीय विद्यालय रुड़की क्र 1 द्वारा कैंटीन प्रबंधन समिति का नामांकन किया जाएगा। स्वच्छता व पर्या बार-बार कमी होने पर कैंटीन कमेटी के सचिव या अध्यक्ष ठेकेदार पर ₹2000 तक का जुर्माना लगा सकते जुर्माना ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

18-ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा की खतरनाक या ज्वलनशील या किसी भी प्रकार के नशे की लत की सा परिसर में संग्रहित न हो।

(दो हजार मात्र)

19-ठेकेदार केंद्रीय विद्यालय क्र-1 को 2000/-का ड्राफ्ट जोकि SF A/C K.V.NO.1 रुड़की के नाम पर बनेगा राशि को अनुबंध पूर्ति होने पर ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा।

20अ) ठेकेदार लाइसेंस को सबलेट या असाइन नहीं करेगा। कैंटीन चलाने के लिए प्रदान की गई जगह क किसी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा और ना ही किसी और को इस कार्य की अनुमति देगा। स्टाकिंग के इसका या इसके हिस्से का उपयोग नहीं किया जाएगा। कैंटीन में उपयोग के लिए जरूरी चीजों के अलाव चीजो को बनाने/रखने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

आ) ठेकेदार स्वयं या उसके कर्मचारी द्वारा केंद्रीय विद्यालय नंबर वन रुड़की की संपत्ति को नुकसान नहीं जायेगा किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

21-इस समझौते को बीच में समाप्त करने के लिए ठेकेदार को एक महीना पूर्व विद्यालय को लिखित में करना होगा। केंद्रीय विद्यालय क्र1 रुड़की द्वारा वांछित होने के बाद लाइसेंस प्राप्त परिसर को शांतिपूर्वक देना होगा। और सभी फर्नीचर, फिटिंग तथा अन्य लोगों के साथ अधिकृत अधिकारियों को सौंपना होगा। में प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्र1 रुड़की का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

22-किसी भी विवाद के मामले में प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्र-1 रुड़की का निर्णय अंतिम होगा और उसी म लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

23-ठेकेदार के पास अनुबंध अवधि के दौरान केंद्रीय विद्यालय क्र-1 रुड़की द्वारा दिए गए इस अनुबंध के अन्य कोई दस्तावेज नहीं होगा।

24-ठेकेदार कैंटीन चलाने के लिए क्रॉकरी बर्तन के साथ-साथ रसोई गैस का प्रबंध भी स्वयं ही करेगा।

25-ठेकेदार के पास किसी भी कार्यालय में कैंटीन चलाने का 3 साल या इससे अधिक का अनुभव प्रमाण आवश्यक है।

26-कार्यालयों या संगठन की सूची जहां कैंटीन को चलाया जा रहा था या वर्तमान में स्थापित है विद्यालय की जाएगी।

27-आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पैन नंबर ठेकेदार विद्यालय में जमा करवाएगा इसके अभाव में कोई भी किया जाएगा।

28. ठेकेदार चाउमीन, बर्गर, मोमो या अन्य फास्ट फूड विद्यालय में नहीं बनाएगा तथा सफाई भी स्वयं

ऊपर बताए गए सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य है।

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-१ रुड़की

विद्यालय कैंटीन हेतु रेट लिस्ट

वस्तु	दर
Uncle Chips	प्रिंट रेट पर
Lays	प्रिंट रेट पर
Biscuit	प्रिंट रेट पर
इडली सांभर/- प्रति प्लेट	25/- PER PLATE
बडा सांभर /- प्रति	30/- PER PLATE
ब्रेड पकोडा /- प्रति पीस	10/-
समोसा /- प्रति पीस	8/-
चाय /- प्रति कप	8/-
पानी बोतल	प्रिंट रेट पर
फ्रूटी	5/-, 10/-
रियल जूस	20/
आलू पैटीज़	10/-
पनीर पैटीस	12/-
छोले भठूरे, चावल, रायता, गुलाब जामुन,पापड, सलाद	75/- प्रति प्लेट
रोटी (तवा /नान), चावल, दाल , पनीर सब्जी ,सूखी सब्जी , पापड , सलाद, रायता,एक मिठाई पीस	140/- प्रति प्लेट
जूस 200 ml	20/-
पकौड़ी १०० ग्राम	15/-